



कार्यालय विधुत भवन ज्योति नगर, जयपुर 302005
[कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):U40109MR2000SGC016485]

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (टी. एच. सी.)

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड, सीकर

फतेहपुर रोड, सबलपुर, सीकर - 332001 दूरभाष नं० 01572 - 272002

ईमेल आईडी: xen.ttc.sikar@rvpn.co.in; वेबसाइट: www.rvpn.co.in

क्रमांक / सा.वि.प्र.नि. / अ.अ. (टी.एच.सी.) सीकर / संस्थापन / प्र. 322-दिनांक 25-02-2019

निवेदन-

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

फॉरेस्टेशन एवं नोडल अधिकारी, एक. सी. एक.

राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Upgrading work of 132 KV S/C Line Sanwali Road water work - Ranoli (with

dismantling of existing H-Pole) Proposal No. FP/R/TRANS/36179/2018

संदर्भ:- आपका ई0डी0एस0 -III दिनांक 13.02.2019 के क्रम में।

नमोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में आय के ई0डी0एस0 -III के क्रम में चाही गई सूचना निम्नानुसार है:-

Points of proposal		Essential Details Sought	Compliance
C. Maps of forest land proposed to be diverted.	2-	1. बिन्दु संख्या 2 की पालना के क्रम में यूजर ऐजेंसी द्वारा वन क्षेत्र में प्रस्तावित पारेषण लाईन में कुछ संरचनाएँ (अतिक्रमण) पर यूजर ऐजेंसी की टिप्पणी निम्नानुसार प्रस्तावित की गई है। "तकनीकी रूप से प्रस्तावित लाईन के कॉरिडोर में अतिक्रमण से किसी प्रकार की कठिनाई / बाधा नहीं है तथा ना ही किसी प्रकार की जान माल की हानि होने की संभावना है। अपरेटिंग कार्य होने के पश्चात लाईन का लम्बवत् एवं समान्तर अन्तराल और सुधरेगा। पारेषण लाईन के कॉरिडोर के संवर्धन में भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.05.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी। वन क्षेत्र के अतिक्रमण की जानकारी संबंधित उपवन संरक्षक से ली जानी प्रस्तावित है।" इस संवर्धन में प्रयोक्ता अतिक्रमण से वननवद्धता लिया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त के0एम0एस0 फाईल का अवलोकन करने पर पाया कि यूजर ऐजेंसी द्वारा प्रस्ताव के अंतिम बिन्दु (जी0एस0एस0 के निकट) पूर्व प्रचलित रास्ते का प्रयोग नहीं किया गया है पूर्व प्रचलित रास्ते पर पारेषण लाईन प्रस्तावित नहीं किसे जानने का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार संशोधित KML File, GT Sheet & DGPS Map सलनन किसे जानने प्रस्तावित है।	1. वननवद्धता सलनन कर दी गई है। अंतिम बिन्दु (जी0एस0एस0 के निकट) पर पूर्व में प्रचलित रास्ते का प्रयोग नहीं किया गया जिसका कारण यह है कि पूर्व प्रचलित मार्ग पर स्थित लाईन में 220 के.वी. सीकर से 132 के.वी. जी.एस.एस. सावली रोड वाटर वर्क्स द्विपक्षिय लाईन स्थित है। अतः रानोली लाईन को वाटर वर्क्स जी.एस.एस. तक ले जाने के लिए पूर्व प्रचलित मार्ग के समान्तर तकनीकी रूप से संभव मार्ग प्रस्तावित किया गया है। जिसके KML File, GT Sheet & DGPS Map सलनन है।
4-	Additional Information Details	2. बिन्दु संख्या 4 की पालना नहीं। सेगमेंट वाइज एरिया केलकुलेशन/ग्रामवार एरिया केलकुलेशन में प्रभावित वन भूमि एक ग्राम करवा सीकर में होना अंकित किया गया है जबकि ऑनलाइन प्रस्ताव में दो ग्रामों में वन भूमि प्रभावित होना अंकित किया गया है। संशोधित दस्तावेज सलनन किया जाना प्रस्तावित है।	1. सेगमेंट वाइज एरिया केलकुलेशन/ग्रामवार एरिया केलकुलेशन में प्रभावित वन भूमि दो ग्रामों में संशोधित कर सलनन कर दीये गये हैं।

अधिकांकी अधिकारी (आयोजना)

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड (R.V.P.N.L., Sikar)

R.V.P.N.L., Sikar